दिल्ली में सीवर कामगार

स्वास्थ्य, सुरक्षा और काम की स्थिति

टिकाऊ रोजगार, परिवहन और पर्यावरण

लेबर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी

खतरा केंद्र

संचल प्रतिष्ठान की इकाई

Supported by Rosa Luxembourg Stiftung

2014

सीवर वर्कर

इतिहास

सरकार ने सन् 1993 में मैला प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया था और कई योजनायें भी चलाई लेकिन देश के कई हिस्सों में खुलेआम इस कानून की अवहेलना होती है। आज भी देश में लगभग 10 लाख लोग ऐसे हैं जो इंसानी मैला ढोकर गुजारा चलाते हैं। दरअसल आज भी हमारा समाज जाति के आधार पर बंटा हुआ है, अब भी कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ नीची जाति के कहलाने वाले दलित ही करते हैं, सफ़ाई भी उनमें भी एक हैं।

शहरों, खास तौर से दिल्ली जैसे महानगर में, सिर पर मैला ढोते मज़दूर कम ही दिखाई पड़ते हैं। इसका यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि शहरों में मैला प्रथा नहीं हैं। शहरों में इसका दूसरा रूप देखने को मिलता है, वह है – सीवर सफ़ाईकर्मी। यह भले ही सिर पर मैला नहीं ढोते परन्तु सीवर की सफ़ाई एवम् उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें इंसानी मल तथा दूसरी गंदगियों से भरे सीवर में उतरकर सफ़ाई करनी पड़ती है।

देश, समाज, शहरों, गलियों को साफ़ एवम् स्वच्छ रखने की सफ़ाई कर्मचारियों की एक अहम् भूमिका होती है। किन्तु समाज में इन्हीं का तिरस्कार किया जाता है, इन्हें नीची जाति एवम् गन्दा समझा जाता है। परन्तु यह सफ़ाई कर्मी हमारे द्वारा उत्पन्न किए गए गन्दगी को ही साफ़ करके पूरे समाज एवम् देश को साफ़ सुथरा तथा स्वच्छ बनाये रखते हैं।

परिचय

सीवर यानि समूचे शहर की गन्दगी का निकास द्वार "क्लीन दिल्ली –ग्रीन दिल्ली" के ठीक नीचे से बहती जानलेवा ज़हरीली गैस और बैक्टीरिया से भरे सीवर, जिनकी सफ़ाई का काम काफ़ी जोख़िम भरा है। मेनहोल में उतरने वाले सफ़ाई कर्मचारी को हमेशा जान जाने का ख़तरा बना रहता है, उन्हें जिन्दा वापस लौटने की उम्मीद नहीं होती। लंबे समय से मेनहोलों की सफ़ाई करते–करते उन्हें लाइलाज बीमारियाँ हो जाती हैं, जो आख़िरकार उन्हें मौत के मुंह में ले जाती हैं। यह काम वे शौक से नहीं करते, बल्कि बेरोज़गारी उन्हें अपनी जिन्दगी दाव पर लगाकर यह काम करने के लिए मज़बूर कर देती हैं। यह काम करने के पीछे लम्बे समय से चली आई जाति प्रथा भी एक महत्त्वपूर्ण कारण है। समाज में हमेशा वाल्मीकी समुदाय को साफ़–सफ़ाई के काम करने वाला समझा गया हैं। वाल्मीकी समुदाय को साफ़–सफ़ाई के काम करने वाला समझा गया हैं। उनके साथ अछूतों की तरह लोग पेश आते हैं, जैसे की इस समाज के लोग इंसान ही ना हो।

दिल्ली में सीवर लाइन की लम्बाई जो सन् 1998 में 4,000 कि.मी. थी, सन् 2013 में बढ़कर 10,000 कि.मी. हो गई। इसके विपरीत दिल्ली जल बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या सन 1998 में 35,500 थी, जो की सन् 2013 में घटकर 16,500 पर आ गई है। देश में तकरीबन 1 मिलियन = दस लाख सीवर सफ़ाई कर्मचारी काम करते हैं। दिल्ली में सीवर की सफ़ाई के लिए प्रमुख रूप से दिल्ली जल बोर्ड जिम्मेदार है और बोर्ड ने इसके लिए लिए 4,000 सफ़ाई कर्मचारियों को पेरोल पर रखा है, जबकि अन्य 7,000 सफ़ाई कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए हैं। हालंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गाइड लाइन साफ़ कहती है कि सीवर साफ़ करने का ज़िम्मा सिर्फ़ सरकार का है, लेकिन होता यह है कि सफ़ाई का काम ठेके पर दे दिया जाता है और कोई हादसा होने पर दिल्ली जल बोर्ड यह कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि मरने या जख्मी होने वाले लोग उसके कर्मचारी नहीं थे। आंकड़ों की माने तो हर साल देश भर में लगभग 1000 और प्रतिदिन 2–3 सफ़ाईकर्मी सीवर साफ़ करते समय काल के मुंह में समा जाते हैं। इन सफ़ाई कर्मचारियों के परिवारों को किसी तरह का कोई मुआवज़ा भी नहीं मिलता।

महत्त्व

यह अध्ययन दिल्ली शहर में सफ़ाई कर्मचारियों की सामाजिक, शारीरिक, एवम् आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाने के लिए किया गया हैं। हम कुछ ऐसे तथ्यों को ढूंढ निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सफ़ाईकर्मी के जीवन को प्रभावित करते हैं। यह उनकी जिन्दगी को पहचानने में मदद करेगी ताकि वो अपनी रोजमर्रा की परेशानी को कुछ कम कर सकेंगे जो उन्हें सफ़ाई कर्मचारी के तौर पर काम करने के कारण झेलनी पड़ती हैं।

कार्यपद्धति

सफ़ाई कर्मचारी कहाँ से प्रवास करके आये हैं और इसके पीछे उनका क्या कारण है ? वो किस तरह कमाते हैं ? क्या–क्या कार्य करते हैं ? कहाँ रहते है ? व उनके खर्च करने के तरीके आदि क्या हैं ? अपने कार्य को सुरक्षित रखने के लिए वो क्या चाहते हैं तथा अपने काम के प्रति उनका क्या विचार हैं ? इन सभी सवालों का उत्तर ढंढने के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि दक्षिणपुरी, देव नगर, मालवीय नगर, आर.के.पुरम. आदि में सर्वे किया गया।

दिल्ली में सीवर सफ़ाईकर्मी स्थाई तथा अस्थाई यानी 'कॉन्ट्रैक्ट' पर कार्य करते हैं। जिनमें अस्थाई कर्मियों की संख्या अधिक है। अस्थाई कर्मियों की स्थिति को अच्छे से जानने के लिए इन क्षेत्रों में सर्वे किया गया क्योंकि यहाँ अस्थाईकर्मी आसानी से मिल जाते हैं। कुल 114 सफ़ाई कर्मियों से प्रश्न पूछा गया। इन 114 उत्तरदाताओं में 94.7% कर्मचारी दिल्ली जल बोर्ड के हैं। 35.96% अस्थाई कर्मचारी के तौर पर कार्यरत हैं।

उद्देष्य

इस पूरे सर्वे का उद्देश्य सफ़ाई कर्मचारियों को ख़ास तौर पर अस्थाई कर्मचारी से जुड़े मुद्दों को समझना एवम् लोगों के बीच लाना था।

- सफ़ाई कर्मचारियों की आर्थिक परिस्थितियों के बारे में पता लगाना
- विभिन्न समस्याओं एवम् उनके कारणों का पता लगाना
- कर्मचारियों तथा सम्बन्धित विभागों के बीच के सम्बन्धों को समझाना
- रोज़मर्रा की जिन्दगी व पहचान के बारे में जानकारी इकट्ठा करना
- सफ़ाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य, साक्षरता और आवास की स्थिति का पता लगाना

दिल्ली के सीवर सफ़ाईकर्मियों की स्थिति को जानने के लिए लेबर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के साथ ख़तरा केन्द्र ने मिलकर एक सर्वे किया। दिल्ली जल बोर्ड, डी.डी.ए., सुलभ शौचालय और एम.सी.डी. के कुल 114 कर्मचारियों का सर्वे विभिन्न स्टोर्स पर किया गया।

विभाग	संख्या
डी.डी.ए.	1
दिल्ली जल बोर्ड	108
एम.सी.डी.	2
सुलभ शौचालय	3
कुल	114

तालिका : कर्मचारियों की संख्या

हमने जिन कर्मचारियों का सर्वे किया उनमें से अधिकतर दिल्ली जल बोर्ड (डी.जे.बी.) के कर्मचारियों है। 94.7% कर्मचारी दिल्ली जल बोर्ड (डी.जे.बी.), 2.63% सलुभ, 1.75%(एम.सी.डी.) तथा 0.87% दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) के हैं। इस अध्ययन को हमने ज्यादा महत्व दिल्ली जल बोर्ड (डी.जे.बी.) के कर्मचारियों द्वारा दिए गए आंकड़ों पर केन्द्रित किया है क्योंकि दिल्ली में सीवर की सफ़ाई, मरम्मत तथा सफ़ाई की पूरी व्यवस्था में दिल्ली जल बोर्ड (डी.जे.बी.) एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं।

स्टोर्स	संख्या
14वीं देव नगर	8
20 नम्बर दक्षिणपुरी	7
आनन्द पर्वत	**3**
अनार कोठी मलक गंज	3
देव नगर	**10**
फैज रोड़	6
इंदिरा मार्केट	1
इंदिरा मार्केट सब्जी मंडी	5
खजान बस्ती	3
खानपुर	6
मालवीय नगर	10
नांगल राय	2
पांडव नगर	5
आर.के.पुरम. सेक्टर – 3	4
रंजीत नगर	3
सब्जी मंडी घंटा घर	1
शक्कुरपुर	13
सुलभ शौचालय	1
विराट	11
वेलकम मैट्रो स्टेशन	3
किसी भी	8
खाली	1
कुल	114

तालिका : सर्वे स्थान

सर्वे के लिए शक्कुरपुर, आनन्द पर्वत, रंजित नगर, मालवीय नगर, पांडव नगर, खानपुर, दक्षिणपुरी, विराट, देव नगर, सब्जी मंडी जैसे महत्त्वपूर्ण स्टोर्स को चुना गया ताकि कर्मचारियों से उनकी बात किया जा सके तथा उनकी स्थिति का पूर्णरूप से अध्ययन किया जा सके। स्टोर्स पर उपस्थित कर्मचारियों से बात करके पता चला की डी.जे.बी. में सन् 1998 से नई भर्ती पर रोक लगा दिया गया तथा अब नए कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जा रहा है। सर्वे के दौरान पता चला की मालवीय नगर, पांडव नगर और इंदिरा मार्केट सब्जी मंडी में सबसे ज्यादा 5–5 कर्मचारी सीवर की सफ़ाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है।

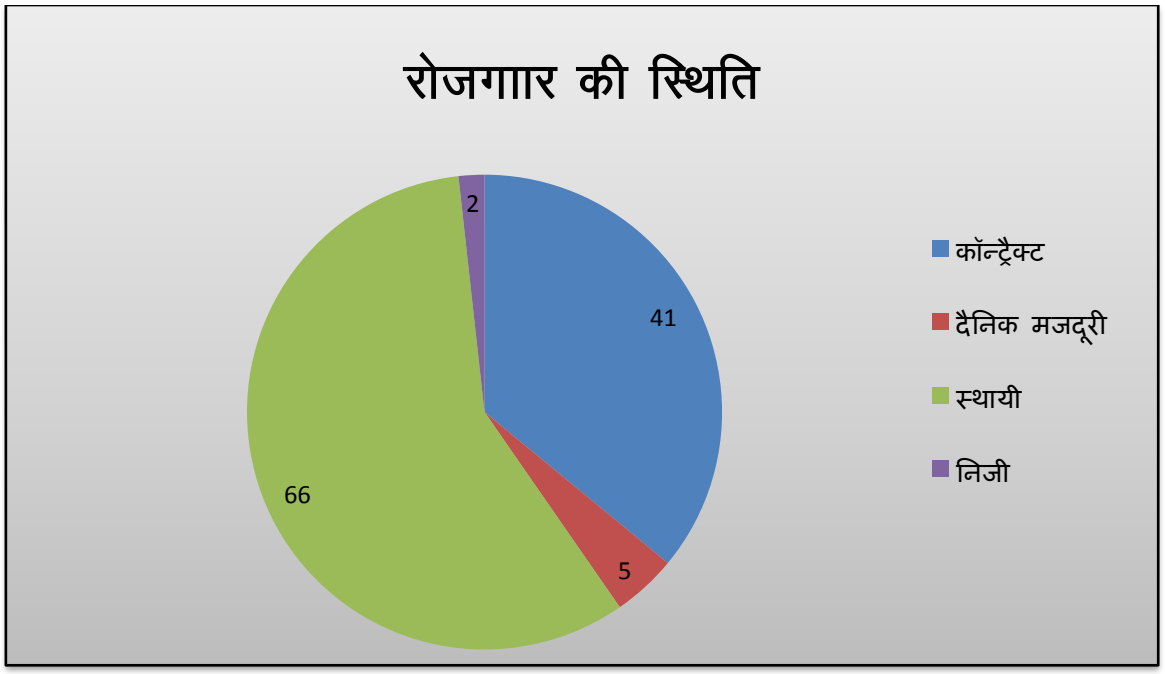

ग्राफ : रोजगाार की स्थिति

उपर्युक्ता चार्ट से यह साफ़ देखा जा सकता है कि सर्वे में अधिकांश संख्या स्थाई कर्मचारियों की हैं। 57.89% कर्मचारी स्थाई है, तथा 35.96% कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों की हैं। 4.38% दैनिक मज़दूरी करने तथा 1.75% निजी तौर पर कार्य करने वाले हैं। वहीं अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की संख्या को देखा जाये तो सबसे ज्यादा 36 (87.80%) कर्मचारी डी.जे.बी. में कार्यरत हैं। शहर में हर 10,000 निवासी पर केवल 13 या उससे भी कम दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी हैं। इसका एक कारण 1998 में नई भर्तियों पर लगी रोक भी है।

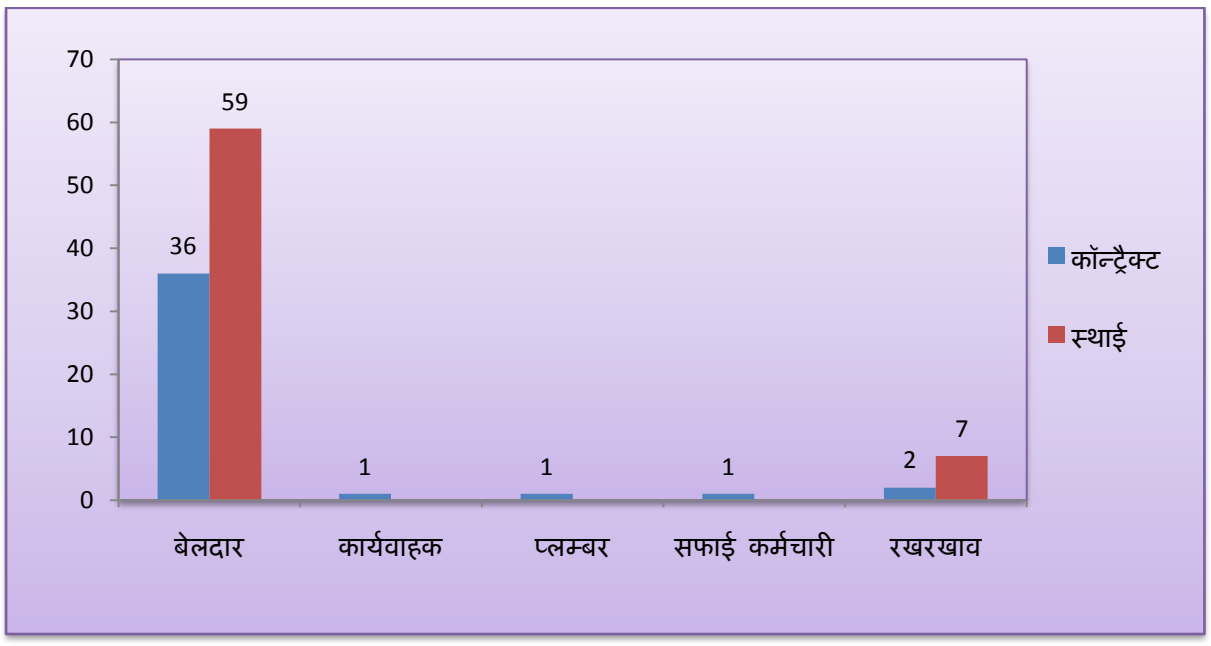

बार चाट : रोजगाार की स्थिति

इस ग्राफ से देखा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी 87.8% बेलदार के रूप में कार्यरत है, वहीं स्थाई कर्मचारी 89.4% बेलदार के रूप में कार्यरत हैं। सर्वे से पता चलाा कि भले ही स्थाई कर्मचारी बेलदार के रूप में कार्यरत हैं परन्तु वे

कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स या दैनिक मज़दूरी करने वाले को मेनहोल में उतरने को मज़बूर करते हैं, किन्तु खुद मेनहोल में नहीं उतरते। लगातार मेनहोल में उतरने से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को अनेक बीमारियों से जूझना पड़ता हैं तथा उनको आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक तौर से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

काम करने के घंटे/दिन तथा वेतन	स्थाई	कॉन्ट्रैक्ट
सप्ताह में काम करने के दिन	6	6.14
औसतन काम करने के घंटे	8	8.9
औसतन वेतन (रूपये)	23116	6727
अधिकतम वेतन (रूपये)	35500	11000
न्यूनतम वेतन (रूपये)	11000	3000
औसतन काम करने के साल	22.8	5.7
अधिकतम काम करने के साल	49	20
न्यूनतम काम करने के साल	6	10दिन

तालिका : काम करने के घंटे/दिन तथा वेतन

उपर्युक्ता तालिका से यह साफ़ देखा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी, स्थाई रूप से काम करने वाले कर्मचारियों से ज्यादा दिन और ज्यादा घंटे काम करते हैं, मगर उन्हें स्थाई कर्मचारियों के मुकाबले काफ़ी कम वेतन दिया जाता है। स्थाई कर्मचारियों की औसतन वेतन 23,116 रूपये हैं जबकि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों की औसतन वेतन 6,727 रूपये ही है। इस मंहगाई के समय जब सब चीजों की कीमत आसमान छू रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं की इतने कम वेतन में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स कैसे अपना घर चलाते होंगे। कैसे वे अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य चीजों को पूरा करते होंगे। यह आंकड़ा इस बात से भी मेल खाता है की अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले मज़दूरों को मिलने वाले वेतन (5000–6000 रूपये) के करीब हैं। और यदि उन्हें सही वेतन मिलता तो वो 23,000 रूपये के करीब होता। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को तो न्यूनतक वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। अगर कोई अकुशल कर्मचारी भी है तो उसे कम से कम 8086 रूपए दिया जाना चाहिए, लेकिन सीवर की सफ़ाई में लगे 80.40% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को न्यूनम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है।

कई कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी पिछले 20 सालों से शहर की सीवर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देते आ रहे हैं और बदले में उनको क्या मिल रहा है – शोषण, अपमान, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। 20 साल से काम करने के बावजूद उन्हें स्थाई कर्मचारी नहीं बनाया गया, उनका शोषण किया गया। स्थाई कर्मचारी की न्यूनतम वेतन 11,000 रूपये है जबकि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की 3,000 रूपये। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का शोषण होने के पीछे कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा, आर्थिक एवम् आर्थिक एवम् सामाजिक स्थिति तथा बेरोज़गारी ज़िम्मेदार हैं। अब सीवर की सफ़ाई का काम सिर्फ वाल्मीकी समाज को लोग ही नहीं बल्कि ऊँची जाति के जाट् समुदाय के लोग भी आ रहे हैं। लेकिन वे स्टोर्स पर सिर्फ हाज़री लगाकर चले या वहीं बैठे रहते हैं। वे ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट पर आए नए लोगों से ही काम लेते हैं और उनका शोषण करते हैं।

शिक्षा का स्तर	स्थाई कर्मचारी		कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी	
प्राइमरी	14	21.21%	11	26.83%
हाई	3	4.55%	1	2.44%
सेकेंडरी	25	37.88%	17	41.46%
सीनियर सेकेंडरी	1	1.52%	0	0.00%
अनपढ़	17	25.76%	10	24.39%
रिक्त	6	9.09%	2	4.88%
कुल	66	100%	41	100%

तालिका : शिक्षा का स्तर

ऊपर दिए तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है की 70% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स सेकेंडरी या उससे कम ही पढ़े हैं। जबकि स्थाई कर्मचारियों में यह घटकर 63% के करीब आ जाती हैं। तकरीबन 24% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स अनपढ़ हैं और कोई भी सीनियर सेकेंडरी तक नहीं पढ़ा है। इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी होगी। आपने परिवार का पालन – पोषण तथा बेरोज़गारी से तंग आकर इन्हें इस अमानवीय तथा जानलेवा कार्य को करना पड़ा।

आयु	कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी	स्थाई कर्मचारी
औसतन आयु	30	47
अधिकतम आयु	50	62
न्यूनतम आयु	18	28

तलिका : आयु का ब्यौरा

इस तालिका से यह साफ़ हो जाता है कि ज़्यादातर स्थाई कर्मचारियों की आयु सेवा निवृत्त (रिटायरमेंट) के लगभग करीब आ चुकी हैं। ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स 18 से 25 वर्ष की आयु के हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति तथा बेरोज़गारी के कारण यह नवयुवकों को इस जानलेवा तथा अमानवीय कार्य करना पड़ रहा है। सर्वे के दौरान कई युवकों ने दूसरे रोज़गार मिलने पर इस काम को छोड़ने की इच्छा जताई है। वे मज़बूरी में यह काम कर रहे हैं तथा यह काम भी कोई निश्चित नहीं है और उनका शोषण भी होता है।

		स्थाई कर्मचारी		कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी	
घर का प्रकार	स्थाई	59	89.39%	31	75.61%
	झुग्गी	5	7.58%	9	21.95%
	रिक्त	2	3.03%	1	2.44%
किसका है	अपना	52	78.79%	29	70.73%
	किराये	11	16.67%	9	21.95%
	सरकारी	1	1.52%	2	4.88%
	रिक्त	2	3.03%	1	2.44%
पानी का स्रोत	पाइपलाइन	47	71.21%	25	60.98%
	हैंडपंप	12	18.18%	9	21.95%
	टोटी	1	1.52%	4	9.76%
	भूजल	1	1.52%	0	0.00%
	टैंकर	2	3.03%	0	0.00%
	खरीदा हुआ पानी	1	1.52%	1	2.44%
	रिक्त	2	3.03%	2	4.88%

तलिका : घर और पानी का ब्यौरा

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि 21.95% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स झुग्गियों में किराये पर रहते हैं जबकि केवल 7.58% स्थाई कर्मचारी झुग्गियों में रहते हैं। 78.79% स्थाई कर्मचारियों का अपना खुद का घर है इसकी तुलना में 70.73% कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों का अपना घर है तथा 71.21%स्थाई कर्मचारियों के घर पाइप लाइन से पानी पहुँचाया जाता है जबकि केवल 60.98% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के घर पाइपलाइन से पानी आता है। वहीं 2.44% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर पानी खरीद कर अपना जीवनयापन कर रहे हैं।

		स्थाई कर्मचारी		कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी	
क्या सीवर में उतरना पड़ता है	हाँ	53	80.30%	33	80.49%
	नहीं	12	18.18%	7	17.07%
	रिक्त	1	1.52%	1	2.44%
कितने बार (औसतन)	पहले	8	12.12%	13.96	34.05%
	अब	15.1	22.88%	17.09	41.68%
क्या कोई प्रषिक्षण दिया गया है	हाँ	47	71.21%	7	17.07%
	नहीं	11	16.67%	28	68.29%
	रिक्त	8	12.12%	6	14.63%
क्या काम के वक्त यह लाभदायक है	हाँ	44	66.67%	4	9.76%
	नहीं	2	3.03%	0	0.00%
	रिक्त	20	30.30%	37	90.24%

तलिका : काम एवम् प्रषिक्षण का ब्यौरा

इस तालिका से यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि केवल 17.07% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को प्रशिक्षण दिया जाता है। जबकि 80.49% कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सीवर में उतरना पड़ता है। 71.21% स्थाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और उसमें से 66.6% कर्मचारियों को ही प्रशिक्षण काम के वक्त लाभदायक लगता है। बिना कोई प्रशिक्षण दिए 68.29% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को मौत के मुँह में काम करने को मजबूर किया जाता है। और अगर कोई दुर्घटना हो गई तो सरकारी विभाग यह कहकर अपना पल्ला झाड़ते है कि वह कर्मचारी उनके विभाग का था ही नहीं। उच्च न्यायालय के आदेश कि "किसी भी वर्कर को मेनहोल में नहीं उतारा जाएगा, अगर कोई आपात स्थिति हो तो ही उन्हें सीवर में उतारा जाए, वह भी सभी सुरक्षा के साथ और उस वक्त जे.ई. को वहाँ पर मौजूद होना पड़ेगा"। लेकिन न्यायालय के इस आदेश को ताख पर रख कर बिना प्रक्षिशित कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को सीवर में उतारा जा रहा है। ऐसा लगता है की दिल्ली में हर रोज कोई न कोई आपात स्थिति हो।

दिन प्रतिदिन सीवर में उतरने की संख्या बढती जा रही है और इस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा रहा हैं। ज्यादातर वर्कर्स गटर खोलने, स्टील प्लेटस से उसकी सफाई करने, मलबा को दूसरी जगह पहुँचाने सीवर की मरम्मत करने जैसे आदि कार्य करते है।

	कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी						स्थाई कर्मचारी					
	हाँ		नहीं		रिक्त		हाँ		नहीं		रिक्त	
आई.डी.कार्ड	5	12.20%	28	68.29%	8	19.51%	64	96.97%	2	3.03%	0	0.00%
पोषाक	4	9.76%	27	65.85%	10	24.39%	55	83.33%	8	12.12%	3	4.55%
ट्रैफिक चिन्ह बोर्ड	12	29.27%	25	60.98%	4	9.76%	51	77.27%	13	19.70%	2	3.03%
दस्ताने	18	43.90%	21	51.22%	2	4.88%	54	81.82%	8	12.12%	4	6.06%
गम बूट	16	39.02%	23	56.10%	2	4.88%	54	81.82%	8	12.12%	4	6.06%
मास्क	10	24.39%	26	63.41%	5	12.20%	46	69.70%	16	24.24%	4	6.06%
प्राथमिक चिकित्सा	11	26.83%	24	58.54%	6	14.63%	52	78.79%	11	16.67%	3	4.55%
टॉर्च	11	26.83%	23	56.10%	7	17.07%	54	81.82%	8	12.12%	4	6.06%
रक्षा कवच	11	26.83%	25	60.98%	5	12.20%	47	71.21%	14	21.21%	5	7.58%
रक्षा बेल्ट	18	43.90%	16	39.02%	7	17.07%	53	80.30%	8	12.12%	5	7.58%
ऑक्सीजन सिलेंडर	8	19.51%	24	58.54%	9	21.95%	46	69.70%	13	19.70%	7	10.61%
गैस परीक्षण	5	12.20%	27	65.85%	9	21.95%	44	66.67%	14	21.21%	8	12.12%

तलिका : सुरक्षा उपकरण

इस तालिका से यह बात स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को किसी प्रकार की सुरक्षा, ना तो विभाग सुनिश्चित कर रहा है और न ही सरकार इस पर कोई ध्यान है। 68.29% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को तो पहचान पत्र (आई.डी.कार्ड) तक नहीं मिला है वहीं 96.97% स्थाई कर्मचारियों को आई.डी.कार्ड दिया गया है। सीवर में उतार कर काम करते समय जिन मुख्य सुरक्षा उपक्रमों (जैसे की रक्षा कवच, ऑक्सीजन सिलेंडर, आदि) की जरुरत होती कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को वह भी नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं उनके साथ दोहरा मापदंड अपनाया जाता है और जानबूझकर वर्कर्स को मौत की ओर धकेला जाता है। सुरक्षा के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के दस्ताने, गम बूट दिए जाते हैं जिन्हें पहनकर कर्मचारी काम नहीं कर पाते। दस्ताने और गम बूट एक तो काफ़ी शक्त होते हैं और उनका वज़न भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वर्कर्स इनका उपयोग भी नहीं करते। 15–15 फूट गहने मेनहोल के वर्कर्स को उतारा जाता है पर उन्हें ऑक्सीजन सिलेण्डर, टॉर्च जैसी महत्त्वपूर्ण चीजें नहीं दी जाती और ज्यादातर वर्कर्स इन्हीं चीजों की अभाव के कारण काल की गोद में चले जाते हैं।

स्टोर्स पर सफ़ाई कर्मचारियों को पीने के लिए न तो साफ़ पानी मिल पाता है और नहीं चोट लगाने पर कोई प्राथमिक चिकित्सा ही मिल पाता हैं। स्टोर्स पर मूलभूत सुविधायें जैसे की शौचालय, आराम करने की कोई जगह, खाना खाने की जगह की कोई व्यवस्था नहीं होती और इनका अनदेखी की जाती है।

स्थाई कर्मचारी			कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स		
समय अवधि (साल)	संख्या	प्रतिशत	समय अवधि (साल)	संख्या	प्रतिशत
6-10	3	4.55 %	0-2	8	19.51 %
11-15	10	15.15 %	2-4	8	19.51 %
16-20	15	22.73 %	4-6	3	7.32 %
21-25	16	24.24 %	6-8	11	26.83 %
26-30	9	13.64 %	8-10	5	12.20 %
31-35	10	15.15 %	10-12	1	2.44 %
36-40	1	1.52 %	12-14	1	2.44 %
46-50	1	1.52 %	14-16	3	7.32 %
रिक्त	1	1.52 %	18-20	1	2.44 %

तलिका : काम से जुड़े रहने की अवधि

इस तालिका से यह देखा जा सकता है कि 24.24% स्थाई कर्मचारी पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं, जबकि 26.83% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पिछले 8 सालों से कार्यरत हैं। 85.37% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स 10 साल से भी कम समय से भी सीवर की सफ़ाई का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ केवल 4.55% स्थाई कर्मचारी 10 साल या उससे कम समय से यह कार्य कर रहे हैं।

समस्या	स्थाई कर्मचारी		कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
त्वचा	3	4.55 %	1	2.44 %
आंखें	27	40.91 %	3	7.32 %
लीवर	3	4.55 %	-	-
श्वास/फेफड़े	17	25.76 %	1	2.44 %
हार्ट	1	1.52 %	-	-
कान	4	6.06 %	-	-
मंसपेषियों में दर्द	9	13.64 %	6	14.63 %
दांत /मसूड़ों	1	1.52 %	-	-
मधुमेह	2	3.03 %	-	-

तलिका : काम से होने वाली बिमारियाँ

उपरोक्त तालिका से यह बात साफ़ हो जाती है की सीवर की सफ़ाई करने वाले कर्मचारी चाहे वे स्थाई हो या कॉन्ट्रैक्ट पर, वे किसी न किसी बीमारी से अवश्य ग्रस्त हैं। आंकड़ों की माने तो अधिकतर 40.91% स्थाई कर्मचारी आँखों की परेशानी से ग्रस्त हैं। किसी को कम नज़र आता है तो किसी को एक आँख से नज़र ही नहीं आता। किसी के आँखों की परेशानी से ग्रसित है। किसी को कम नज़र आता है तो किसी को एक आँख से नज़र ही नहीं आता। किसी के आँख का आपरेशन हुआ है, तो कोई आँखों से धुंधला दिखाई देने से ग्रसित है और दूसरी तरफ 7.32% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आँखों की परेशानी से ग्रसित हैं। दिनभर भारी सीवर के ढक्कन खोलने, कचड़े का निदान करने, शारीरिक मेहनत करने से 14.63% कॉन्ट्रैक्ट मांसपेशियों में दर्द के शिकार हैं। 25.76% स्थाई कर्मचारी श्वास/फेफड़े की परेशानी से ग्रस्त हैं। इस सर्वे में विभाग के द्वारा कर्मचारियों का हर 6 महीने में हेल्थ चेकचप करना होता है मगर साल–दो–साल में एक बार ही हो पाता है और अगर चेकअप में कुछ परेशानी नज़र आई तो उसका ईलाज ज्यादातर कर्मचारी को खुद ही करवाते हैं। केवल 14% कर्मचारियों को ही डी.जे.बी. की ओर से ईलाज का खर्च दिया गया है।

विभिन्न प्रकार की दुर्घटना	संख्या
पैरों में चोट	9
हाथ में चोट	4
सिर पर चोट	2
मेनहोल में मृत्यु	11
आंखों में चोट	1
वजन उठाने से पीठ में दर्द	2
गैस से प्रभावित	8
हड्डी टूटना	3
हार्ट अटैक	1
सुरक्षा उपकरण में खराबी	1
रिक्त	72

तलिका : काम के दौरान होने वाली दुर्घटना

काम के दौरान बहुत से कर्मचारी किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। चाहे वे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हो या स्थाई कर्मचारी सभी दुर्घटना के शिकार होते हैं, स्थाई कर्मचारियों का कम से कम विभाग के द्वारा ईलाज का इंतजाम कर दिया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है की कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का काम नहीं हो पाता। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स अपनी जेब से पैसा लगाकर अपना ईलाज करते हैं या कभी छोटी चोट पर कोई ठेकेदार उनको ईलाज के लिए कुछ पैसे दे देते हैं।

ईलाज का खर्च किसने दिया	संख्या
दिल्ली जल बोर्ड	6
सरकारी अस्पताल	2
स्वंय	7
सुलभ	1
रिक्त	98

तलिका : काम के दौरान होने वाली दुर्घटना

उपर्युक्त तालिका से यह देखा भी जा सकता है की अधिकतर कर्मचारियों ने स्वंय ही ईलाज का खर्चा उठाया है। पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की कमाई इतनी नहीं होती की अच्छी प्रकार अपने परिवार का पालन–पोषण कर सके और ऊपर से अगर उनके या उनके परिवार के साथ कोई दुर्घटना गठित हो गई तो मानो उन पर पहाड़ टूट पड़ता है। अगर किसी दुर्घटना में किसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को कोई मुआवज़ा भी नहीं दिया जाता। उन्हें यह कह कर टाल दिया जाता है की मृतक उनका कर्मचारी था ही नहीं। उनका परिवार दर–दर की ठोकर खाने को मज़बूर हो जाते हैं।

निष्कर्श

दिल्ली जो कि देश की राजधानी होने के साथ ही साथ व्यापार, राजनीति, पर्यटन एवम् रोज़गार की दृष्टि से देश के मानचित्र पर एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इस शहर को साफ़–सुथरा रखने एवम् सुचारू रूप से चलने में इन सफाई कर्मियों का योगदान हमेशा से रहा है।

दो पीड़ी पहले, लगभग सन 1940–1960 में बने गटर से, स्थाई एवम् अस्थाई कर्मचारियों दोनों से प्रभावित हैं तथा उनके सेहत पर इनका दुष्प्रभाव आमतौर पर देखने को मिलता रहता है। 60 साल पहले बने, इन गटरों में बहने वाला मल, कचड़ा आदि एवम् उसकी मात्रा कुछ और ही थी। आज गटर में प्लास्टिक के बोतल, पॉलीथीन बैग्स, कूड़ा आदि बह रहा है, जो कि इनके जाम होने का एक प्रमुख कारण भी है। गटर में बहने वाले कचड़े में बहुत फर्क़ आया है लेकिन उसका डिजाईन वहीं हैं। पहले सीवर टैंक चीनी मिट्टी का बना हुआ होता था, जिसमें चिकनाई होती थी, मगर अब कांक्रीट का बना होता है जिसमें कोई चिकनाई नहीं होती, जिसके कारण कूड़ा ज्यादा फंसता है। ढाल 60 साल पहले का होने और पानी की मात्रा में कमी होने का कारण, बहाव में बाधा उत्पन्न हो रही है। फ्लश की बनावट में आई परिवर्तन के कारण आज मल को बहाने के लिए आधा पानी बह रहा है क्योंकि पहले फ्लश 12 लीटर का होता था अब 5 लीटर का। बार–बार गटर जाम होने की स्थिति में सिर्फ मशीनें में सीवर साफ करना संभव नहीं होता, इस कारण सफ़ाई कर्मियों को सीवर में उतरना ही पड़ता है। सीवर में 80% स्थाई और 80% अस्थाई कर्मचारी दोनों उतरते हैं। स्थाई कर्मचारियों को सुरक्षा साधन मिलने के बावजूद उनके सेहत पर असर पड़ रहा है। स्थाई कर्मचारियों को पहले औसतन 8 (12%) बार सीवर में उतरना पड़ता है, मगर अब 15 (23%) बार। यानि की उनके सीवर में उतरने के क्रम में 2 गुना वृद्धि हुई है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को पहले 14 (34%) बार सीवर में उतरना पड़ता था मगर अब 17 (42%) बार। यानि की उनके सीवर में उतरने के क्रम में 1.5 गुणा वृद्धि हुई है। काम का बोझ स्थाई मज़दूरों पर बढ़ रहा है। उसी अनुपात से अस्थाई कर्मचारियों पर नहीं बढ़ रहा। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को कोई ट्रेनिंग या किसी प्रकार का सुरक्षा उपक्रम नहीं दिया जाता। कॉन्ट्रैट वर्कर्स को कोई ट्रेनिंग या किसी प्रकार का सुरक्षा उपक्रम नहीं दिया जाता। एक ओर तो मांस–पेशियों में दर्द, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और स्थाई कर्मी दोनों में एक अनुपात में बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर, आँख और साँस की दिक्कत, स्थाई कर्मियों में ज्यादा पाई गई क्योंकि स्थाई कर्मचारी लम्बे समय से यह काम कर रहे हैं। ज्यादा काम करने से स्थाई कर्मियों पर ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को स्थाई करने की मांग करे तो, वेतन भले ही बढ़ जाये लेकिन काम करने की प्रवृति नहीं सुधरने वाली।

सीवर वर्कर्स की स्थिति को सुधारने एवम् उसको बेहतर करने के लिए हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजना पड़ेंगे जैसे कि :–

- सालों–साल दिल्ली जल बोर्ड की कमाई में बढ़ोतरी हो रही है किन्तु कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है तथा उन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं दिय जा रहा तो पैस कहाँ जा रहा है ?
- क्या सिर्फ स्थाई कर देने की सारी समस्याओं का समाधन हो जायेगा ?
- क्या गटर की बनावट को लेकर चर्चा नहीं की जानी चाहिए ?
- क्या गटर की बनावट में सीवर वर्कर्स का पक्ष नहीं जोड़ा जा सकता है ?